छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 556/2006</u>

श्री मदन गोपाल पाण्डेय,
सी.313, शैलेन्द्र नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी
   छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग,
   मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. अपीलीय अधिकारी
   छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग,
   मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन,
   रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::
(दिनांक 03 अप्रेल 2007)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण है कि अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, गृह विभाग को आवेदन–पत्र दिनांक 16–06–2006 के द्वारा, उसके द्वारा पूर्व में दिये गये आवेदन–पत्रों पर विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रति चाही थी। अपीलार्थी ने गृह मंत्रीजी को दिनांक 25–11–2005 एवं 05–06–2006 को आवेदन पत्र दिये थे। दिनांक 09–03–2006 को एक टीप पर मंत्री, गृह, जेल एवं सहकारिता के द्वारा सचिव, गृह विभाग को टीप प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी ने दिनांक 11–08–2006 को स्मरण कराया। दिनांक 18–08–2006 के पत्र के द्वारा उपसचिव, गृह विभाग ने अपीलार्थी से जानकारी चाही कि अपीलार्थी को कौन–से दस्तावेजों की आवश्यकता है, जिसके उत्तर में अपीलार्थी ने दिनांक 01–09–2006 को उपसचिव, गृह विभाग को पूर्व में भेजे गये आवेदन–पत्रों की प्रति भेजी। जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी ने प्रथम अपील, प्रथम अपीलीय अधिकारी, गृह विभाग को प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी आदेश न दिये जाने के फलस्वरूप द्वितीय अपील छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

2/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी, गृह विभाग को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 14–02–2007 को जानकारी निर्धारित अवधि में न देने के फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी को 10,000/– रुपये अर्थदण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20 के अंतर्गत जारी करने का आदेश दिया गया है।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि अपीलार्थी ने

पूर्व में मंत्री, गृह विभाग को दिये गये आवेदन–पत्रों पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? उसकी जानकारी दस्तावेजों सहित मांगी थी। किन्तु निर्धारित अवधि में जन सूचना अधिकारी ने जानकारी नहीं दी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अपील आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की। अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित कर जानकारी अपीलार्थी को दिलाई जावे। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध नियुक्तियों में अवैध रूप से वसूल की गई राशि के संबंध में न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया है। अतः न्यायालयीन प्रकरण होने से जानकारी नहीं दी जा सकती। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलार्थी ने न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित जानकारी नहीं चाही है, वह केवल उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर शासन ने क्या विचार किया, उसके निर्णय की जानकारी दस्तावेज सहित चाहता है, अतः इसे दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये थी। प्रतिअपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया है कि अपीलार्थी से स्पष्ट रूप से यह चाहा गया था कि उसे कौन–कौन से दस्तावेज की प्रतिलिपि चाहिये, किन्तु उसने जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी। अपीलार्थी के आवेदन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये गये आवेदन–पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही थी। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क है कि स्पष्ट रूप से कौन–कौन से दस्तावेज की प्रति चाहिये यह ज्ञात नहीं होने के कारण तथा न्यायालयीन प्रकरण के कारण जानकारी नहीं दी गई। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 16–06–2006 को दिया था, जबकि उससे स्पष्ट रूप से दस्तावेजों संबंधी जानकारी पत्र दिनांक 18–08–2006 के द्वारा चाही गई, अर्थात् निर्धारित 30 दिन की अवधि के पश्चात् अपीलार्थी से जानकारी चाही गई, जबकि अधिनियम के अनुसार 30 दिन के अन्दर जानकारी दी जाना चाहिये थी। न्यायालय के द्वारा दस्तावेजों की प्रतिलिपि दिये जाने में कोई रोक नहीं लगाई है, अतः न्यायालयीन प्रकरण मानकर भी जानकारी नहीं दिये जाने का तर्क मान्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी दी जाना चाहिये थी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी प्रकरण में विधिवत् सुनवाई कर आदेश पारित करना चाहिये था। अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को वांछित जानकारी निःशुल्क प्रदान करे। जहां तक अर्थदण्ड का प्रश्न है चूँकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा न्यायालयीन प्रकरण मानकर जानकारी देने में भ्रम की स्थिति थी, अतः यह नहीं माना जा सकता कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश अपीलार्थी को जानकारी नहीं दी। अतः प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इनके विरूद्ध पूर्व में जारी किया गया कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त